17वीं लोक सभा का विघटन

[स्रोत: द हिंदू](#)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **17वीं लोकसभा** को **भंग** करने की सिफारिश की।

- संविधान के **अनुच्छेद 83(2)** के अनुसार, बैठक के प्रथम दिन से **पाँच वर्ष पूर्ण होने** पर **संसद के निचले सदन को भंग कर दिया जाता है।**
  - संसद भंग होने से मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और **आम चुनाव होने के बाद नए सदन का गठन किया जाता है।**
- हालाँकि, प्रधानमंत्री की सलाह पर **राष्ट्रपति** द्वारा निचले सदन को **पहले भी भंग** किया जा सकता है।
- इसे तब भी भंग किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि **पिछली सरकार के त्यागपत्र या भंग होने के बाद कोई व्यवहार्य सरकार नहीं** बनाई जा सकती।
- राज्यसभा **एक स्थायी सदन होने के कारण भंग नहीं होती।**

और पढ़ें: लोकसभा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dissolution-of-the-17th-lok-sabha